जिलाधिकारी, मधेपुरा की अध्यक्षता में दिनांक 21.03.17 को आयोजित खरीफ विपणन मौसम, वर्ष–2016–17 के अन्तर्गत धान/सी0एम0आर0 अधिप्राप्ति संबंधित जिला टास्क फोर्स की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति पंजी के अनुसार :–

कार्यवाही

सर्व प्रथम जिलाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारी का स्वागत किया गया एवं धान अधिप्राप्ति के महत्व एवं संवेदनशीलता पर प्रकाश डालते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

1 धान अधिप्राप्ति की स्थिति

(i) जिला सहकारिता पदाधिकारी के द्वारा प्रतिवेदन दिया गया कि दिनांक 20.03.2017 तक जिले में कुल 25373.174 मीट्रिक धान की खरीद की गई है, जो कि जिला के लिए निर्धारित लक्ष्य (44000 मीट्रिक टन) के विरूद्ध मात्र 57.6 प्रतिशत है। उपस्थित सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इच्छुक पंजीकृत किसानों से पैक्सों/व्यापार मंडल के माध्यम से शतप्रतिशत धान की अधिप्राप्ति की जाए, ताकि उन्हें विचौलिए अथवा खुले बाजार में धान के distress sale के लिए बाध्य नहीं होना पड़े।

(ii) प्रखंडवार समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि ग्वालपाड़ा, शंकरपुर, बिहारीगंज, चौसा, गम्हरिया, उदाकिशुनगंज में किसानों से धान अधिप्राप्ति की मात्रा अत्यंत ही कम है। इन प्रखंडों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जबकि सबसे अधिक सिंहेश्वर प्रखंड में धान अधिप्राप्ति की मात्रा 5672.88 मीट्रिक टन प्रतिवेदन है जिसका भौतिक सत्यापन आवश्यक है। सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अपने क्षेत्र के पैक्स गोदामों/मिलों में धान अधिप्राप्ति का भौतिक सत्यापन करें, तथा भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन whatsapp पर भी अपलोड करें, तथा लिखित रूप में जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध कराऐं।

2 सी0 एम0 आर0 की मात्रा

धान अधिप्राप्ति के विरूद्ध सी0 एम0 आर0 गोदाम में प्राप्त चावल की मात्रा निर्धारित सी0 एम0 आर0 का मात्र 42.48% है। प्रखंडवार समीक्षा के क्रम में पाया गया कि, चौसा प्रखंड में धान अधिप्राप्ति के विरूद्ध सी0एम0आर0 प्राप्ति मात्र 17.3% तथा ग्वालपाड़ा प्रखंड में सी0एम0आर0 प्राप्ति मात्र धान अधिप्राप्ति के विरूद्ध 17.64% है। जिला सहकारिता पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि संबंधित प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी से सी0एम0आर0 कम गिराव के कारणों के संबंध में स्पष्टीकरण पूछा जाए। साथ ही जिला सहकारिता पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सभी पैक्स अध्यक्षों को धान अधिप्राप्ति के विरूद्ध शतप्रतिशत सी0 एम0 आर0 प्राप्त कराने हेतू कड़ी चेतावनी निर्गत की जाए।

3 **सी0 एम0 आर0 के विरूद्ध भुगतान की स्थिति**

समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि सी0एम0आर0 गोदाम (SFC) को आपूर्ति की गेंई कुल मांत्र 8241.641 मीट्रिक टन के विरूद्ध 6758.568 मीट्रिक टन का भुगतान किया गया है। जिला प्रबंधक को निदेश दिया जाता है कि राशि की उपलब्धता के आलोक में सी0एम0आर0 प्राप्ति के विरूद्ध शतप्रतिशत भुगतान पैक्सों को करना सुनिश्चित किया जाए।

4 **मिल टैगिंग की स्थिति**

जिला प्रबंधक (SFC) के द्वारा मिलों की सूची उपलब्ध करायी गई, तथा सूचित किया गया कि पैक्स के द्वारा दो मिलों को स्थापित किया गया है– (i) रेशना पैक्स राईस मिल, ग्वालपाड़ा तथा (ii) मंजौरा पैक्स राईस मिल, उदाकिशुनगंज जिसे धान अधिप्राप्ति के विरूद्ध होने वाले कुटाई (milling) के लिए पंजीकृत कर लिया गया है। तदनुसार रेशना पैक्स राईस मिल, ग्वालपाड़ा को ग्वालपाड़ा प्रखंड के पैक्सों के लिए, तथा मंजौरा पैक्स राईस मिल, उदाकिशुनगंज को उदाकिशुनगंज प्रखंड के पैक्सों के लिए, धान की कुटाई हेतू अनुमति दी गई।

5. **पैक्स संबद्धता की स्थिति**

जिला सहकारिता पदाधिकारी के द्वारा सूचित किया गया है कि कुल 08 पैक्सों द्वारा अधिप्राति कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है जिस कारण उन पैक्सों के किसानों को हितप्रभावित हो राहा है। उनके द्वारा उन पैक्सों के किसानों से धान प्राप्त करने के लिए बगल के पैक्सों से संबद्ध करने का पत्र दिया गया है (पत्र– 293/21.03.17) सर्व सम्मति से जिला सहकारिता पदाधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

21/3/17 — जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा।

जिला सहकारिता पदा0, मधेपुरा।

21/3/17 — जिला आपूर्ति पदा0, मधेपुरा।

21.3.17 — जिला पदाधिकारी, मधेपुरा।

ज्ञापांकः 180 / दिनांकः 23/03/17

प्रतिलिपिः– सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितों को ई–मेल करने हेतू प्रेषित।

21.3.17

जिला पदाधिकारी

मधेपुरा।